

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक :- 08/08/17

ग्रा0वि0-3/स्था0-1-13/2016 सं0- 320.693. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0-8748 दिनांक- 18.07.2017 से ग्रामीण विकास विभाग में सेवा प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर/ मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र. सं.	पदाधिकारी का नाम कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1	श्री राकेश कुमार, 907/11, सारण	अनुमंडल पदाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद (संप्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा
2	डा0 विद्यानंद सिंह, 774/11, वैशाली	अनुमंडल पदाधिकारी, मंझौल, बेगूसराय	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अररिया

2. नव पदस्थापित/अधिसूचित पदाधिकारी अविलम्ब अपने नव पदस्थापन स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे तथा योगदान की सूचना विभागीय ईमेल (rlrsec-bih@nic.in) पर भेजेंगे।

3. नव पदस्थापित पदाधिकारी के माह अगस्त, 2017 के वेतनादि का भुगतान नव पदस्थापित स्थान से किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र भगत)

सरकार के उप सचिव

जापांक:- 320693

दिनांक:- 08/08/17

ग्रा0वि0-3/स्था0-01-13/2016

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ/ महालेखाकार, बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा, निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ आयुक्त, मगध प्रमंडल (गया), मुंगेर प्रमंडल (मुंगेर), पूर्णियां प्रमंडल (पूर्णियां) एवं कोशी प्रमंडल (सहरसा)/ जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद, बेगूसराय, अररिया एवं सहरसा/उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद, बेगूसराय, अररिया एवं सहरसा / कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद, बेगूसराय, अररिया एवं सहरसा / संबंधित अधिसूचित पदाधिकारी/ मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव